

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार खान दातमयी की पंजाबनी रानवत 2075-78 के खता नं०

प्रसारण मार्षी के रॉंग अभिधान 2021

604
2021

784 में खता नं० आ नाम पीटर पि० शोनाच खाता नं० 784 के खता नं० 2075-78 के खता नं०
आधार नं०, परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में आधी आ नाम पीटर राफ पि० शोनाच फंजित है।
अतः शीमावती से निवेदन है कि आधी आ नाम पीटर राफ पि० शोनाच के नाम पीटर राफ पि० शोनाच
के नाम पर रिपोर्ट शीमावती से गौरी जाट उपरि है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

दिनांक :- 25/10/21

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिधावा की जाती है /
की जाती है।

25/10/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुन्धुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 27/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0)
उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
निर्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	दावस्यी	2075-78	784	पीटर पु० शोनाच	पीटर राफ पि० शोनाच राम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
उदयपुरवाटी (झुन्धुनू)

दिनांक :- 27/10/2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 429-30

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।

2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
उदयपुरवाटी (झुन्धुनू)